<u>भुगतान किये गये लाभांश पर टी डी एस</u>

टी डी एस सदस्य कृपया नोट करें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 में दि. 1 अप्रैल, 2020 के प्रभाव से पुन:स्थापित परिवर्तन के अनुसरण में किसी कंपनी द्वारा प्रदत्त या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथ में कर योग्य होगा। तदनुसार, उक्त अनुबंधों के अनुपालन में कंपनी लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की आवश्यक कटौती (टी डी एस) करने के बाद करेगी। प्रत्येक शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा पात्र दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण एवं कंपनी द्वारा उनके अंगीकरण के आधार पर कर की कटौती की दर में परिवर्तन किया जाएगा।

ए) सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ स्थित डी-मैट अकाउंट तथा भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में कंपनी के पास मंगलवार दि 22 सितंबर, 2020 से सोमवार दि. 28 सितंबर, 2020 (दोनों दिन मिलाकर) पंजिका बंद होने तक निम्न विवरण पूर्ण और / या अद्यतन हैं :

कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित विवरण यदि आपने कंपनी के साथ पहले ही पंजीकृत कर लिया था, लागू टी डी एस प्रावधान के लिए कंपनी के पास उपलब्ध सदस्यों का रजिस्टर / डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामित्व के रजिस्टर को आधार माना जाएगा:

- वैध पैन (पी ए एन) नंबर।
- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आवासीय स्थिति या वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निवासी या गैर-निवासी।
- शेयरधारकों की श्रेणी : म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) श्रेणी I और II, ए आई एफ श्रेणी III, सरकार (केंद्र / राज्य सरकार), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) / विदेशी संस्थागत निवेशक (FII): विदेशी कंपनी, FPI / FII: अन्य (व्यक्तिगत, फर्म, ट्रस्ट, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति आदि), व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), फर्म, सीमित देयता भागीदारी (LLP), व्यक्तियों का संघ (AOP), व्यक्तियों का निकाय (BOI) या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, ट्रस्ट, घरेलू कंपनी, विदेशी कंपनी आदि।
- ई-मेल पता।
- आवासीय पता।

बी) कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में घोषित लाभांश और भुगतान की गई राशि पर वैध 'पैन' होने की स्थिति में निवासी शेयरधारकों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के तहत 7.5% की दर से टीडीएस काटा जाना है। यदि वैध 'पैन' पंजीकृत न होने की स्थिति में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 एए के तहत 20% की दर से टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। हालाँकि, कुल वितरित लाभांश रु. 5,000 से कम होने पर आवासीय शेयरधारकों को वितरित / किये जाने वाले लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019-20 में घोषित सामान्य लाभांश को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए उक्त सीमा की प्रयोज्यता निर्धारित करने का आधार माना जाएगा। जहां शेयरधारक वैध फॉर्म 15G (व्यक्तियों के लिए, कुल आय पर कोई कर देयता नहीं है और आय जो

अधिकतम राशि से अधिक नहीं है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है) या फॉर्म 15H (60 वर्ष से अधिक आयु कुल आयु पर कोई कर देयता वाले व्यक्ति के लिए) प्रस्तुत करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

विभिन्न श्रेणियों के शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	**विवरण**	**आवश्यक दस्तावेज, यदि कोई हो तो**
1	जिन व्यक्तियों पर कोई कर देयता नहीं है और फार्म 15 जी / 15 एच फार्म प्रस्ततु करने की सभी शर्तें पूरा करते हैं।	यथा लागू फार्म 15 जी / 15 एच में घोषणा
2	म्यूचुअल फंड (धारा 196 [iv)])	वैध 'सेबी' पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-साक्ष्यांकित प्रति। आय कर अधिनियम में निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 'शून्य' टी डी एस
3	बीमा कंपनियाँ (धारा 194)	वैध 'आई आर डी ए' पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-साक्ष्यांकित प्रति।
4	केंद्रीय / राज्य सरकार / आर बी आई / किसी केंद्रीय अधिनियम के तअहत स्थापित, जिनकी आय समय से लागू है (धारा 196)	धारा 1996 के तहत कवरेज के लिए दस्तावेजी सबूत
5	श्रेणी I और II वैकल्पिक निवेश कोष (Sec.197A)	वैध 'सेबी' पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-साक्ष्यांकित प्रति।
6	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि (दि. 29 मई, 2017 की परिपत्र सं. 18/2017)	आय कर विभाग द्वारा नियम 2 – आय कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग-बी के तहत मान्य अनुमोदन की स्व-सत्यापित प्रति।
7	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (दि. 29 मई, 2017 की परिपत्र सं. 18/2017)	ए. आय कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग-ए के नियम-3 के तहत आयुक्त से प्राप्त वैध आदेश की स्व-सत्यापित प्रति। बी. ईपीएफ अधिनियम के तहत बनाई गई योजना के तहत स्थापित किए जा रहे फंड के समर्थन में वैध दस्तावेजी साक्ष्य की स्व-सत्यापित प्रति।
8	स्वीकृत ग्रेच्युटी फंड (दि. 29 मई, 2017 की परिपत्र सं. 18/2017)	आय कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग-सी के नियम-2 के तहत आयुक्त से प्राप्त वैध अनुमोदन की स्व-सत्यापित प्रति।
9	नेशनल पेंशन स्कीम	धारा 197ए (आई ई) के तहत कोई टी डी एस नहीं।

सी) गैर-आवासीय शेयरधारकों के संदर्भ में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के तहत 20% (लागू अधिभार और उपकर सहित) की दर से टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के अनुसार गैर-आवासीय शेयरधारक को यदि उनके लिए अधिक लाभदायक होने पर भारत और शेयरधारक के कर निवास देश के बीच दोहरे कर से बचाव संधि के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। इस उद्देश्य के लिए अर्थात् कर संधि लाभ प्राप्त करने के लिए गैर-आवासीय शेयरधारकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :

- भारतीय आयकर प्राधिकारियों द्वारा आबंटित पैन (पी ए एन) की स्व-सत्यापित प्रति;
- शेयरधारक जहाँ के निवासी हैं, उस देश के कर अधिकारियों से प्राप्त वैध कर निवास प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
- फॉर्म 10F में स्व-घोषणा; तथा
- संलग्न प्रारूप में स्व-घोषणा।

विभिन्न श्रेणियों के शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

क्र. सं.	विवरण	आवश्यक दस्तावेज, यदि कोई हो तो
1	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आई आई) / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ पी आई)	वैध एफ पी आई / एफ आई आई पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-साक्ष्यांकित प्रति।
2	किसी विदेशी बैंक की विदेशी शाखा	आय कर प्राधिकरण द्वारा धारा 195 (3) के तहत 'शून्य' कटौती के संबंध में जारी वैध प्रमाण-पत्र। यह पुष्टि करते हुए स्व-घोषणा कि आय अपने स्वयं के खाते पर प्राप्त की गई है न कि विदेशी बैंक की ओर से।

डी) वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी वैध कम / शून्य दर कटौती प्रमाणपत्र में उल्लिखित दर पर टीडीएस कटौती योग्य है।

ई) तदनुसार, हमें उचित टीडीएस / रोक लगाने की दर निर्धारित करने अनुरोध है कि आप ये विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराएँ। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज rta@alankit.com, abhinavka@alankit.com investors@bdl-india.in पर ई-मेल से भेज दें।

एफ) आगे, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपरोक्त विवरण / दस्तावेज के प्राप्त होने की स्थिति में लाभांश पर कर अधिक दर पर काटा जाता है, तब भी अर्ह्य होने पर आय का रिटर्न दाखिल करने और दावा करने के लिए अंशधारक के पास विकल्प होगा। इस तरह के करों में कटौती के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

जी) हम लाभांश का भुगतान किये जाने के बाद आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर टीडीएस प्रमाणपत्र की सॉफ्ट कॉपी भेजने की व्यवस्था करेंगे।

एच) टीडीएस दर लागू करना कंपनी के देय परिश्रम और सत्यापन के अधीन है, जो बुक क्लोजर की तारीख पर सदस्यों के रजिस्टर में उपलब्ध विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी, आदि की जाँच के अनुसार होगी। अधूरी या अस्पष्ट जानकारी, या यदि वैध दस्तावेज प्रदान नहीं किए जाते हैं, तो कंपनी अधिकतम लागू दर पर कर घटाने की व्यवस्था करेगी।

आई) किसी भी आयकर माँग, (ब्याज, जुर्माना, सहित) की स्थिति में, किसी भी गलत बयानी से उत्पन्न होने वाली, अशुद्धि या सूचना का चूक / सदस्य द्वारा प्रदान किए जाने के लिए सदस्य जिम्मेदार होंगे। साथ ही, सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रदान करने और किसी भी मूल्यांकन / अपीलीय कार्यवाही में सहयोग देने के बाध्य होंगे।

जे) टीडीएस के संबंध में ऊपर दी गई सूचना केवल सदस्यों की जानकारी के लिए है न कि कर कानूनों के अनुपालन पर पूर्ण या व्यापक मार्गदर्शन के लिए। शेयरधारक अपने कर सलाहकारों / सलाहकारों के साथ अपने व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू कर प्रावधानों और कर कानूनों के अनुपालन के संबंध में परामर्श करने के लिए जिम्मेदार हैं।

****